न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

रामरतन सौंकरिया

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
03 / 2014 / प्रा.पत्र / 2014	11.09.2014	18.10..2024

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..........प्रार्थी

बनाम

1–श्री गोपाल लाल पुत्र श्री रतन लाल जैन एफ.बी.ओ. / मालिक मैसर्स रतन लाल गोपाल लाल मेन मार्केट पीपलू जिला टोंक निवासी वार्ड नं0 8 मेप मार्केट पीपलू जिला टोंक।

2–मैसर्स रतन लाल गोपाल लाल मेन मार्केट पीपलू जिला टोंक(राज0)

3–श्री रूपचन्द जैन पुत्र श्री कन्हैयालाल एफबीओ मैसर्स गोरधन लाल कन्हैयालाल जामड ख्वास जी के कटले के अन्दर मालपुरा जिला टोकं(राज0।)

4– मैसर्स गोरधन लाल कन्हैयालाल जामड ख्वास जी के कटले के अन्दर मालपुरा जिला टोकं(राज0।)

5–श्री राहुल जामड पुत्र श्री धनराज सोल प्रोपराइटर मैसर्स ओसवाल ट्रेडिंग कम्पनी एच–1–620–ए रोड नम्बर 6 विश्वकर्मा जयपुर(राज0) 302001 निवासी 92, वार्ड नं0 11 जामड भवन मालपुरा टोंक (राज0)

6–मैसर्स ओसवाल ट्रेडिंग कम्पनी एच–1–620–ए रोड नम्बर 6 विश्वकर्मा जयपुर(राज0) 302001

7–श्री सुनिल दत्त अग्रवाल पुत्र श्री दुर्गा दत्त पार्टनर मैसर्स बाबा रामदेव कैम फूड गेरोडिया मेन्शन नगरपालिका के सामने फलौदी जिला जोधपुर निवासी गेरोडिया मेन्शन नियर टॉउन हॉल फलौदी जिला जोधपुर(राज0)

8– श्री रामदेव अग्रवाल पुत्र श्री दुर्गा दत्त पार्टनर मैसर्स बाबा रामदेव कैम फूड गेरोडिया मेन्शन नगरपालिका के सामने फलौदी जिला जोधपुर निवासी गेरोडिया मेन्शन नियर टॉउन हॉल फलौदी जिला जोधपुर(राज0)

9–श्री दिनेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री दुर्गा दत्त पार्टनर मैसर्स बाबा रामदेव कैम फूड गेरोडिया मेन्शन नगरपालिका के सामने फलौदी जिला जोधपुर निवासी गेरोडिया मेन्शन नियर टॉउन हॉल फलौदी जिला जोधपुर(राज0)

10– श्री मनोज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री वासुदेव अग्रवाल पार्टनर मैसर्स बाबा रामदेव कैम फूड गेरोडिया मेन्शन नगरपालिका के सामने फलौदी जिला जोधपुर(राज0) निवासी सरदारपुरा जोधपुर(राज0)

11– श्रीमति इन्दु अग्रवाल पत्नि श्री प्रवीण अग्रवाल पार्टनर मैसर्स बाबा रामदेव कैम फूड गेरोडिया मेन्शन नगरपालिका के सामने फलौदी जिला जोधपुर(राज0) निवासी सरदारपुरा जोधपुर(राज0)

12– मैसर्स बाबा रामदेव कैम फूड गेरोडिया मेन्शन नगरपालिका के सामने फलौदी जिला जोधपुर

..........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26की उप धारा (2)(ii)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री विक्रम जैन उपस्थित।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

:–**निर्णय**–: दिनांक 18.10.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनाक 28.02.2014 को समय 04:26 पी.एम. पर मैसर्स रतन लाल गोपाल लाल मेन मार्केट पीपलू जिला टोंक(राज0) पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता के हैसियत से श्री गोपाल लाल पुत्र श्री रतन लाल उपस्थित मिला, श्री गोपाल लाल पुत्र श्री रतन लाल को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री गोपाल लाल पुत्र श्री रतन लाल ने स्वयं को मैसर्स रतन लाल गोपाल लाल मेन मार्केट पीपलू जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा आवेदन करना जाहिर किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में तेल,चीनी,गुड, चाय,मसाले, पैक, घी एवं दुकान की रेक में 1–1 किलोग्राम पैक के लगभग 22 पॉली पैक पैक्ड अवस्था में **नमक आयोडाईज्ड(फॉरच्यून प्लस) रिफाइंड फ्री फ्लो** रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री गोपाल लाल पुत्र श्री रतन लाल को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री गोपाल लाल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **नमक आयोडाईज्ड(फॉरच्यून प्लस) रिफाइंड फ्री फ्लो** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, दुकान में 22 पॉली पैक में से 1–1 किलोग्राम के 4 किलोग्राम 4 पॉली पैक **नमक आयोडाईज्ड(फॉरच्यून प्लस) रिफाइंड फ्री फ्लो** वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 4 किलोग्राम 1–1 किलोग्राम के 4 पॉलीपैक **नमक आयोडाईज्ड(फॉरच्यून प्लस) रिफाइंड फ्री फ्लो** को साफ व सूखे चौकोर डिब्बों में रखकर डिब्बों को एयरटाईट बन्द कर बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाय प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–670 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–670 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री गोपाल लाल पुत्र श्री रतन लाल जैन एफ.बी.ओ./मालिक मैसर्स रतन लाल गोपाल लाल मेन मार्केट पीपलू जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स गोरधन लाल कन्हैयालाल जामड ख्वास जी के कटले के अन्दर मालपुरा जिला टोकं का बिल प्रस्तुत किया। मैसर्स गोरधन लाल कन्हैयालाल जामड ख्वास जी के कटले के अन्दर मालपुरा जिला टोक के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स ओसवाल ट्रेडिंग कम्पनी एच–1–620–ए रोड नम्बर 6 विश्वकर्मा जयपुर का बिल पेश कर उक्त खाद्य प्रदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स ओसवाल ट्रेडिंग कम्पनी एच–1–620–ए रोड नम्बर 6 विश्वकर्मा जयपुर से संपर्क करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स बाबा रामदेव कैम फूड गेरोडिया मेन्शन

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

नगरपालिका के सामने फलौदी जिला जोधपुर का बिल पेश कर उक्त खाद्य प्रदार्थ कय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 14 / 1154 दिनांक 03.04.2014 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस. / 35 / एफएसएसए / 2014 / 39 दिनांक 13.03.2014 के अनुसार विक्रेता श्री गोपाल लाल जैन से वास्ते नमूना जांच कय किया गया **नमक आयोडाईज्ड(फॉरच्यून प्लस) रिफांइड फी फ्लो** एफ.एस.एस.ए की धारा 3(1))(zx) का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री विक्रम जैन उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। इसके लेबल पर समस्त आवश्यक जानकारियॉ अंकित है। उक्त नमक में कोई बाहय पद्रार्थ नहीं मिलाया गया है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **नमक आयोडाईज्ड(फॉरच्यून प्लस) रिफांइड फी फ्लो** का विकय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **नमक आयोडाईज्ड(फॉरच्यून प्लस) रिफांइड फी फ्लो** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 10,000 / – (अक्षरे दस हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 10,000 / – (अक्षरे दस हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 10,000 / – (अक्षरे दस हजार रूपये) एवं अप्रार्थी सं. 7 ता 12 पर कुल शास्ति रूपये 50,000 / – (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 18.10.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0